

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

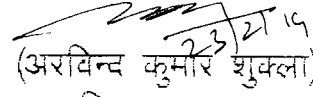
// आदेश //

क्रमांक C/1029 /

जबलपुर, दिनांक 25/02/2019

श्री प्रज्जवल श्रीवास, शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन, कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर मध्यप्रदेश को (शीघ्रलेखक रिजर्व पूल से) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में एक वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ पदस्था करने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनके वेतन एवं भत्ते कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर मध्यप्रदेश से आहरित किये जावेंगे एवं उन्हें मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्ति पर नहीं माना जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
For रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 1020 /
प्रतिलिपि -

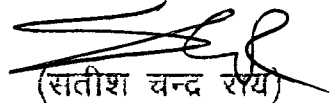
जबलपुर, दिनांक 25/02/2019

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
2. डायरेक्टर, मध्यप्रदेश, राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1, 2/डी.ई./ई./व्ही./आई.एल./-कम-पी.पी.एस./सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. श्री प्रज्जवल श्रीवास, शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन, कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

३३




(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
For